न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –59 / 2024 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2024 / 163

1. किरन सुमन पुत्री गजानन्द सुमन जाति माली निवासी रेतवाली कैथूनीपोल तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. अन्जूलता पत्नी गजानन्द सैनी जाति माली निवासी मकान नम्बर 11 दिगम्बर जैन मन्दिर के पास रेतवाली, कोटा
3. विजय कुमार सैनी आत्मज गजानन्द जाति माली निवासी जैन मन्दिर के सामने वाली गली रेतवाली कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सं0 2075 दिनांक 30.05.1953 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति
1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 25.11.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डाना में अपीलांटगण के दादाजी फून्दीलाल के नाम कुल 5 किता की 3 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 545 रकबा 0.33 हे0, 648 रकबा 0.05 हे0 कुल 2 किता की 0.38 हे0 आराजी खातेदारी दर्ज थी । खातेदार फूंदिया के फौत होने पर वारिस श्री बख्श, चोथमल, छोटिया के नाम नामान्तरकरण फौती इन्तकाल नं0 2075 दिनांक 20.5.1953 को स्वीकृत किया गया, नामान्तरकरण के वक्त छोटिया, चोथमल नाबालिग थे ।
2. अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश दिनांक 20.05.1953 में अपीलांटगण के पिता गजानन्द जो उक्त नामान्तरकरण के वक्त नाबालिग होने से बोलता नाम छोटिया दर्ज करने से अपीलांट द्वारा यह अपील जरिये अभिभाषक दिनांक 7.10.2024 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई । वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
3. वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने फूंदिया आत्मज नैनक जी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कुल 5 किता की 3 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसके हाल खसरा नम्बर 545 रकबा 0.33 हे0, 648 रकबा 0.05 हे0 कुल 2 किता की 0.38 हे0 आराजी स्थित है जो फूंदिया जी के सवर्गवास बाद उनके पुत्र श्रीबक्श, चौथमल, छोटिया के नाम दर्ज की गयी । इंतकाल के समय छोटिया नाबालिग होने के कारण बोलता नाम छोटिया दर्ज कर दिया जो निरन्तर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा और बाद में सभी राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पिता एवं पति का नाम गजानन्द लिख दिया गया, इस प्रकार छोटिया जी के सभी रिकॉर्ड में गजानन्द जी नाम दर्ज हो रहा है । जिनका दिनांक 24.11.2022 को स्वर्गवास हो गया और स्वर्गवास होने के बाद रेस्पोडेन्ट के यहां इंतकाल खुलवाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया तब अपीलान्ट को जानकारी हुयी कि अपीलान्ट के पिता एवं पति का नाम राजस्व रिकार्ड में छोटिया दर्ज है जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेज में गजानन्द दर्ज हो रहा है । इस बाबत अपीलान्ट द्वारा सक्षम अधिकारियों को

जिला कलक्टर
कोटा

शिकायत की कि नाम दुरूस्त करें तब अपीलान्ट को सलाह प्रदान की गयी कि अपील करके ही दुरूस्त होगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल में अपीलान्ट के पिता एवं पति का नाम छोट्या के स्थान पर गजानन्द दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पहचान के दस्तावेजों के आधार पर जांच कर नाम छोटिया और गजानन्द एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि होने पर नाम दुरूस्त किया जा सकता है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट का अपील में मुख्य कथन है कि फूंदिया आत्मज नैनका जी के फौती नामान्तरकरण के वक्त अपीलांटगण के पिता व पति नाबालिग होने से घर का बोलता नाम छोटिया नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया गया जबकि बाद में अन्य सभी दस्तावेजों में गजानन्द दर्ज है, छोटिया ही गजानन्द होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण में छोटिया के स्थान पर गजानन्द दर्ज कराना चाहते है । अपीलान्ट के पिता व पति छोटिया का भी स्वर्गवास होना बताया गया है । प्रकरण में छोटिया ही गजानन्द है यह जांच का विषय है, अपीलान्ट द्वारा इसके सम्बन्ध में पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को जांच हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित पाते है ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर छोटिया के नाम के शुद्वि करने की हद तक नामान्तकरण संख्या 2075 दिनांक 20.05.1953 निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि छोटिया ही गजानन्द होने के सम्बन्ध में जांच कराई जावें । यदि छोटिया ही गजानन्द होने की पुष्टि होने पर नाम दुरूस्त किया जाकर नवीन आदेश पारित करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा